वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च, 2017-फाल्गुन 26, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी, 2017

क्र.-07.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का क्रमांक 6) की धारा-12 की उपधारा-3(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भारती विनियम, 1996 की अनुसूची-1 में निम्नानुसार संशोधन करती है:-

क्र.	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान	भर्ती विधि (सीधी भर्ती/पदोन्नति से आदि प्रतिशत सहित)
1.	प्रयोगशाला परिचारक	75	5200-20200 एवं 1800 ग्रेड पे.	100 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं बोर्ड में कार्यरत स्थाई कर्मियों का नियमितीकरण.
2.	चपरासी/चौकीदार, स्वीपर	180	4400-7440 एवं 1300 ग्रेड पे	100 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं बोर्ड में कार्यरत स्थाई कर्मियों का नियमितीकरण.

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से तथा आदेशानुसार

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी, 2017

क्र.-08.—राज्य बोर्ड की 143वीं बैठक दिनांक 13 जनवरी, 2017 में लिये गये निर्णय अनुसार जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) 1974 (1974का क्रमांक 6) की धारा-12 की उपधारा-(3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये स्थायी कर्मियों की विनियमितीकरण योजना 2017 निम्नानुसार लागू करता है:-

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्माण विभागों में कार्यरत श्रमिकों को विनियमित करते हुये स्थाई कर्मी बनाये जाने संबंधी योजना आदेश दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 के माध्यम से लागू की गई. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों हेतु लागू उपरोक्त योजना अनुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों हेतु स्थायी कर्मियों के विनियमितीकरण हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-12 की उपधारा-3(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ:**

   यह विनियम मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थायी कर्मियों को विनियमित करने हेतु नियम, 2017 कहलायेंगे. यह विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे.

2. बोर्ड में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी के स्थान पर स्थायी कर्मी की श्रेणी दी जायेगी.

3. स्थायी कर्मियों को निम्नानुसार वेतनमान स्वीकृत किया जाये:

श्रेणी	:	वेतनमान
अकुशल	:	4000-80-7000
अर्द्धकुशल	:	4500-90-7500
कुशल	:	5000-100-8000

4. वरिष्ठता का लाभ देने हेतु 01 सितम्बर, 2016 की स्थिति में उनके द्वारा पूर्ण किए वर्षों के आधार पर संबंधित वेतनमान में अंकित वेतनवृद्धि की दर से गणना कर उन्हें संबंधित वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जावेगा.

5. इस पर इन्हें मंहगाई भत्ता देय होगा. (वर्तमान 125 प्रतिशत)

6. कोई एरियर्स देय नहीं होगा.

7. यह वेतन निर्धारण 01 सितम्बर, 2016 की तिथि से होगा. आगामी वेतनवृद्धि सितम्बर, 2017 से देय होगी.

8. अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर 15 दिन प्रतिवर्ष के सेवाकाल के वेतन के आधार पर उपादान की पात्रता होगी. यह राशि अकुशल के लिए रु. 1,25,000/- अर्द्धकुशल के लिए रु. 1,50,000/- एवं कुशल के लिए रु. 1,75,000/- तक सीमित होगी.

9. ऐसे दैनिक वेतन भोगी जो दिनांक 16 मई, 2007 को कार्यरत थे व दिनांक 01 सितम्बर, 2016 को भी कार्यरत हैं, इस वेतन क्रम एवं अन्य लाभों के लिए पात्र होंगे. दिनांक 16 मई, 2007 के पश्चात् शासन की अनुमति/अनुमोदन उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा दैनिक वेतन भोगी के पद पर नियुक्त किये गये हैं. उन्हें भी योजना की पत्रता होगी. दिनांक 01 सितम्बर, 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/सेवा से पृथक् किये गये अथवा सेवा छोड़ चुके दैनिक वेतन भोगियों को इस योजना की पात्रता नहीं होगी. संविदा अंशकालीन एवं आउट सोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों के लिए यह योजना लागू नहीं है.

नोट: कर्मचारियों का कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल श्रेणी में वर्गीकरण मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग के आदेश दिनांक 29 सितम्बर, 2014 अनुसार किया जायेगा.

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से तथा आदेशानुसार
ए. ए. मिश्रा,
सदस्य सचिव.

(736-बी.)

उपनाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र मनीष चौरसिया पुत्र श्री जगदीश चौरसिया की हाईस्कूल की अंकसूची में मेरे (जगदीश चौरसिया) नाम में भूलवश चौरसिया सरनेम लिखने से रह गया है. जबकि उसके (मनीष चौरसिया) के अन्य सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम जगदीश चौरसिया अंकित है. अत: भविष्य में मेरे पुत्र मनीष चौरसिया के सभी दस्तावेजों में मेरे नाम को जगदीश चौरसिया के नाम से ही जाना, पहचाना जावे.

(जगदीश चौरसिया),
पता- मुन्ना नाई के पास, देवनगर,
गंजीवाला मोहल्ला, लक्कड़ खाना,
लश्कर, ग्वालियर.

(737-बी.)

नाम परिवर्तन

सूचित हो कि विवाह पूर्व मेरा नाम कुमारी पल्लवी पाटील पिता श्री सुरेश पाटील रहा, होकर मेरा यही नाम मेरे समस्त दस्तावेज, अंकसूची आदि में दर्ज है. मेरा विवाह श्री कौस्तुभ चौधरी पिता श्री प्रदीप चौधरी के साथ दिनांक 12 फरवरी, 2012 सम्पन्न होने उपरांत ससुराल पक्ष द्वारा मेरा नाम परिवर्तित करते "श्रीमती काव्या चौधरी पति श्री कौस्तुभ चौधरी" कर दिया व मैं, श्रीमती काव्या चौधरी पति कौस्तुभ चौधरी के नाम से जानी, पहचानी व सम्बोधित की जाती हूँ व भवष्यि में भी इसी नाम से जानी जाऊंगी. उक्तानुसार वर्णित दोनों नाम मेरे ही होकर एक ही महिला के नाम है.

पुराना नाम :
(पल्लवी पाटील)

नया नाम :
(काव्या चौधरी)
पति-श्री कौस्तुभ चौधरी,
ए-23, एम. आय. जी. कॉलोनी, इन्दौर (म. प्र.).

(738-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री कु. रीया जाधव पिता प्रेमसिंह जाधव के द्वारा दी गई माहिती एवं निर्देशानुसार सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पूर्व में अपना नाम रीया बड़त्या पुत्री प्रेमसिंह जाधव लिखती थी लेकिन अब मैंने अपना रीया जाधव पिता प्रेमसिंह जाधव लिखना आरम्भ कर दिया है. मेरे सारे कागजातों में रीया बड़त्या लिखा हुआ है. अब मुझे रीया जाधव के नाम से जाना, पहचाना जावे.

प्रेमसिंह जाधव,
निवासी-540, स्कीम नं. 51,
संगम नगर के पास, इंदौर.

(739-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरे पुराने दस्तावेज (पासपोर्ट) में नाम अनिल पुरुषोत्तम लाल गुप्ता दर्ज है जिसे बोर्ड की अंकसूची के आधार पर अनिल कुमार गुप्ता किया जा रहा है. अतः मुझे अनिल पुरुषोत्तम लाल गुप्ता के स्थान पर अनिल कुमार गुप्ता परिवर्तित नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :
(अनिल पुरुषोत्तम लाल गुप्ता)

नया नाम :
(अनिल कुमार गुप्ता)
जुन्नारदेव, छिन्दवाड़ा (म. प्र.).

(740-बी.)

CHANGE IN NAME

We are the change of our Daughter Name from KRAPALI PACHORI D/o RISHI PACHORI To NANDANI PACHORI D/o RISHI PACHORI And Now She would known By NANDANI PACHORI D/o RISHI PACHORI.

RISHI PACHORI-(Father)
MAMTA PACHORI-(Mother)
Add, H. No. C-1008
Sukhaliya, Indore (M.P.).

(741-B.)

CHANGE OF NAME

I, declare that Before My Name was Rekha Veerwani. I have changed My Name as Rekha Veerwani to Meena Virwani In future, I will be known as New Name Meena Virwani.

Old Name:
(REKHA VEERWANI)

New Name :
(MEENA VIRWANI)
Address—House No. 61 Scheme No. 101,
Manik Bag road, Indore (M. P.) 452007.

(742-B.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 20-12-2016 तक में निधि अग्रवाल पति सनी अग्रवाल के नाम से जानी, पहचानी जाती थी तथा दिनांक 20-12-2016 को मा. अति. प्रधान न्या. महो. कुटुम्ब न्या. द्वारा हिन्दु वि. वि. प्र. क्र. 590/16 में पारित विवाह विच्छेद के आदेश एवं डिक्री उपरांत मैंने मेरा विवाह पूर्व का नाम निधि पमनानी पिता मनोहरलाल पमनानी कर लिया है. अतः इस जाहिर सूचना के प्रकाशन उपरांत मुझे केवल निधि पमनानी पिता मनोहरलाल पमनानी के नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(निधि अग्रवाल)
(Nidhi Agrawal)

नया नाम :

(निधि पमनानी)
(Nidhi Pamnani)
23, त्रिवेणी कॉलोनी मेन, इंदौर (म. प्र.).

(743-बी.)

नाम परिवर्तन

अज्ञान जीविका अग्रवाल तर्फे पालनकर्ता माता निधि पमनानी पिता मनोहरलाल पमनानी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस जाहिर सूचना के प्रकाशन के पूर्व मेरी अज्ञान/अवयस्क पुत्री जीविका अग्रवाल के नाम से जानी-पहचानी जाती थी, जिसे बदलकर अब "रिया पमनानी" कर लिया है. अतः इस जाहिर सूचना के प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को केवल "रिया पमनानी" के नाम से जाना-पहचाना जावे.

(निधि पमनानी)
पिता मनोहरलाल पमनानी
23, त्रिवेणी कॉलोनी मेन, इंदौर (म. प्र.).

(744-बी.)

CHANGE OF NAME

This is a general information that I Manoj Kumar Kulshrestha S/O. Shri Brij Kumar Kulshrestha residing at ward No. 03 New Market, Near Axis Bank Singruli (M.P.) declare that my name is wrongly written as Manoj Kulshreshtha in my son's Devansh Kulshreshtha class 10th Mark sheet and migration certificate. The actual migration name is Manoj Kumar Kulshrestha respectively which may be amended accordingly.

This is certified that I have complained with other legal requirements this correction.

Manoj Kumar Kulshrestha Ward No. 03 New Market, Near Axis Bank, Singrauli.

Old Name:

(MANOJ KULSHRESHTHA)

New Name :

(MANOJ KUMAR KULSHRESTHA)

(745-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि देवेन्द्र सिंह राजपूत की पत्नि का नाम प्रेमलता राजपूत है परन्तु उनके पुत्र हर्षेन्द्र सिंह राजपूत के भोपाल कैम्पियन स्कूल के प्रमाण पत्रों में गलती से नीलू राजपूत हो गया है जो कि घरेलू नाम है. अतः हर्षेन्द्र सिंह राजपूत की माता का नाम नीलू राजपूत के स्थान पर प्रेमलता राजपूत जो कि शासकीय अभिलेखों में दर्ज एवं मान्य किया जाए और हर्षेन्द्र सिंह के शासकीय प्रमाण-पत्रों में संशोधित कर सही नाम दर्ज किया जाए एवं सही नाम प्रेमलता राजपूत दर्ज किया जावे यह संशोधन सी. बी. एस. ई. बोर्ड के प्रमाण-पत्र में नीलू राजपूत के स्थान पर प्रेमलता राजपूत की प्रविष्टि की जाए.

(देवेन्द्र सिंह राजपूत)
हर्षेन्द्र सिंह के पिताजी
सहायक कुलसचिव, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल
निवास-फ्लेट नं. एल. जी.-02, सागर पैराडाइस, जी-3
गुलमोहर कालोनी, ई-8, भोपाल 462039.

(754-बी.)

NOTICE

NOTICE U/S 72 OF PARTNERSHIP ACT, 1932

It is hereby declared that M/s Olympic Tyres, 164 Shyam Tower RNT Marg Indore a registered firm with Registration no. IF/114/99-2000 having partners Shri Mukesh Garg, Girdhar Garg, Smt. Triveni Garg, Usha Garg, Swaranlata Garg and Shri Sunil Jain. W.e.f 01.04.2009 Shri Girdhar Garg and Smt. Swaranlata Garg retired from firm and Shri Hemant Garg admitted as new partner. One of the partner Smt. Usha Garg passed away on 06.07.2012, Shri Radheshyam Garg w.e.f 09.07.2012 admitted as new partner in place of her letter on 01.07.2016 Shri Radheshyam Garg retired from the firm.

For Olympic Tyres
HEMANT GARG,
(Partner).

(746-B.)

NOTICE

NOTICE U/S 72 OF PARTNERSHIP ACT, 1932

It is hereby declared that M/s Madhya Pradesh Tyre Co. 163 RNT Marg Indore a registered firm with Registration no. 1022/75-1976 having partners Shri Krishangopal Garg, Radheshyam Garg, Madanlal Garg and Shri Indermal Jain.One of the partner Shri madanlal Garg passed away on 20.01.2009. The partnership was reconstituted on 24.01.2009 with remaining partners. On 01.07.2016 Shri Radheshyam Garg retired from the firm.

For Madhya Pradesh Tyre Co.
KRISHANGOPAL GARG,
(Partner).

(747-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स कृष्णा कांस्ट्रक्शन कंपनी फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 05/22/08/00159/10 है, पता- C/o अनूप सिंह, उपवन नगर नीम चौराहा बोदा बाग रीवा (म. प्र.) का गठन दिनांक 24 फरवरी, 2010 को प्रथम भागिता विलेख के माध्यम से किया गया था. उक्त फर्म की संरचना में दिनांक 01 अप्रैल, 2011 को परिवर्तन करते हुये द्वितीय भागिता विलेख के द्वारा फर्म के पार्टनर क्रमशः पार्टनर नं. 02 श्री मृत्युन्जय गौतम, पार्टनर नं. 3 श्री राजधर द्विवेदी, पार्टनर नं. 4 श्री श्रवण कुमार द्विवेदी अपनी स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गये हैं जिनका फर्म की किसी भी गतिविधि से कोई लेना-देना शेष नहीं है एवं फर्म के नये पार्टनर के रूप में पार्टनर श्री अरविन्द सिंह सेंगर, पार्टनर श्री धनन्जय सिंह, पार्टनर श्री राकेश पाण्डेय शामिल हो गये हैं. उक्त भागीदारी विलेख में दिनांक 21 जनवरी, 2017 को तृतीय भागिता विलेख के द्वारा परिवर्तन करते हुये फर्म के नये पार्टनर के रूप में श्री राजधर द्विवेदी दिनांक 21 जनवरी, 2017 से फर्म में शामिल हो गये हैं एवं दिनांक 21 जनवरी, 2017 से फर्म के पार्टनर श्री अरविन्द सिंह सेंगर, पार्टनर श्री धनन्जय सिंह, पार्टनर श्री राकेश पाण्डेय फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं. जिनका फर्म की भागीदारी से कोई लेना-देना नहीं होगा.

अतः जिस किसी को भागीदारी विलेख के संबंध में आपत्ति हो, तो वह प्रकाशन दिनांक के सात दिवस के अन्दर आपत्ति दर्ज करें.

द्वारा फर्म
मेसर्स कृष्णा कान्स्ट्रक्शन कंपनी
सचिन सिंह,
(पार्टनर)
C/o अनूप सिंह, उपवन नगर नीम चौराहा,
बोदा बाग, जिला रीवा (म. प्र.).

(748-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स आस्था इंजीनियरिंग फर्म का गठन 10 अक्टूबर, 2009 को प्रथम भागिता विलेख के माध्यम से किया गया था. जिसका रजिस्ट्रेशन नं. 05/26/07/00108/09 है, पता वार्ड नं. 01 हनुमान टोला मैहर जिला सतना मध्यप्रदेश है. उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन करते हुये दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 को संशोधित भागिता विलेख के द्वारा करते हुये फर्म का प्रमुख स्थान वार्ड नं. 01 हनुमान टोला मैहर जिला सतना मध्यप्रदेश दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 से स्थान परिवर्तन करते हुये फर्म का नवीन पता-मकान नं. 72, पेपटेक सिटी सोहावल मोड़ सतना मध्यप्रदेश हो गया है जो कि आज दिनांक से इस नाम से जाना एवं पहचाना जायेगा एवं फर्म के पार्टनर नं. 02 श्री प्रमोद सिंह की दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 को मृत्यु हो जाने के कारण भागिता विलेख में लिखित शर्तो के अनुसार उनकी पत्नी श्रीमती प्रभा सिंह को नये पार्टनर के रूप में दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 से शामिल किया गया है एवं नये पार्टनर के रूप में श्री राजवीर सिंह

को दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 से सम्मिलित किया गया है तथा फर्म के पूर्व पार्टनर नं. 01 श्री विनोद कुमार सिंह दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 से अपनी स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक हो गये है जिनका अब फर्म की किसी भी गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं होगा.

अतः जिस किसी को भागीदारी विलेख के संबंध में आपत्ति हो तो वह प्रकाशन दिनांक से सात दिवस के अन्दर आपत्ति दर्ज करें.

द्वारा फर्म
मेसर्स आस्था इंजीनियरिंग
प्रभा सिंह,
(पार्टनर)
C/o मकान नं. 72 पेपटेक सिटी,
सोहावल मोड़ जिला सतना (म. प्र.).

(749-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स पी. एस. कांस्ट्रक्शन फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 01/22/03/00099/09 है, पता स्वयम्बर मैरिज हाल के बगल में गोल गेट वार्ड नं. 17, नारेन्द्र नगर, रीवा मध्यप्रदेश का गठन दिनांक 23 सितम्बर, 2009 को प्रथम भागिता विलेख के माध्यम से किया गया था. उक्त फर्म की संरचना में दिनांक 08 अगस्त, 2011 को परिवर्तन करते हुये द्वितीय भागिता विलेख के द्वारा फर्म के पार्टनर क्रमशः पार्टनर नं. 02 श्री सुशील चंद्र शर्मा, पता-समान रीवा मध्यप्रदेश एवं पार्टनर नं. 05 श्री संजय सिंह पता-देव भवन, केदारपुर अम्बिकापुर (छ.ग.) दिनांक 08 अगस्त, 2011 से फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं जिनका फर्म की किसी भी गतिविधी से कोई लेना देना शेष नहीं है एवं तृतीय भागिता विलेख द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2015 को पुनः परिवर्तन करते हुये फर्म के पार्टनर नं. 03 श्री दीनानाथ सिंह का निधन दिनांक 23 अक्टूबर, 2014 को हो जाने के कारण फर्म के पार्टनर नं. 01 श्री पुष्पेन्द्र सिंह एवं पार्टनर नं. 04 श्रीमती कविता सिंह यथावत फर्म का संचालन करेंगे. अतः जिस किसी को भागीदारी विलेख के संबंध में आपत्ति हो तो वह प्रकाशन दिनांक के सात दिवस के अन्दर आपत्ति दर्ज करें.

द्वारा फर्म
मेसर्स पी. एस. कान्स्ट्रक्शन
पुष्पेन्द्र सिंह,
(पार्टनर)
गोल गेट नारेन्द्र नगर ,
जिला रीवा (म. प्र.).

(750-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स अस्टभुजा कान्सट्रक्शन कंपनी रजिस्ट्रेशन नं. 05/22/03/00041 है, पता वार्ड नं. 5 नईगढ़ी रीवा (म. प्र.) फर्म की रचना में परिवर्तन करते हुये दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से फर्म के पार्टनर श्री श्रवण कुमार द्विवेदी, श्री राज रतन सिंह फर्म की भागीदारी से स्वेच्छा से अलग हो गये हैं एवं फर्म के नये पार्टनर के रूप में श्रीमती अजीता पटेल दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से सम्मिलित हो गई है. अतः जिस किसी को भागीदारी विलेख के संबंध में आपत्ति हो तो प्रकाशन दिनांक के सात दिवस के अन्दर आपत्ति दर्ज करें.

द्वारा फर्म
मेसर्स अस्टभुजा कान्स्ट्रक्शन कंपनी
कमलेश कुमार पटेल,
(पार्टनर)
वार्ड नं. 5 नईगढ़ी, रीवा (म. प्र.).

(751-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स तेजा कान्स्ट्रक्शन एण्ड कंपनी रजिस्ट्रेशन नं. 018, पता-दुर्गा भवन, फोर्ट रोड, रीवा (म. प्र.) यह कि फर्म के पार्टनर नं. 02 श्रीमती नीलम चौरसिया पत्नी श्री कृष्ण कुमार चौरसिया निवासी दुर्गा भवन, फोर्ट रोड, रीवा (म. प्र.) दिनांक 07 नवम्बर, 2014 से अपनी स्वेच्छा से फर्म से रिटायर हो गई हैं जिनका फर्म की किसी भी गतिविधी से कोई लेना देना नहीं होगा एवं फर्म के नये पार्टनर के रूप में पार्टनर नं. 03 महेन्द्र शुक्ला पिता श्री बिहारी लाल शुक्ला. पता-ग्राम पो. भटलो, रीवा (म. प्र.) दिनांक 07 नवम्बर, 2014 से फर्म में शामिल हो गये हैं. अतः जिस किसी को भागीदारी विलेख के संबंध में आपत्ति हो तो वह प्रकाशन दिनांक के सात दिवस के अन्दर आपत्ति दर्ज करे.

द्वारा फर्म
मेसर्स तेजा कान्स्ट्रक्शन एण्ड कंपनी
कृष्ण कुमार चौरसिया,
(पार्टनर)
दुर्गा भवन, फोर्ट रोड, रीवा (म. प्र.)

(752-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म Sky Walker जिसका पंजीयन क्रमांक 01/06/03/0211/15, दिनांक 11 अगस्त, 2015 पर पंजीयन है, वह जिसका पंजीकृत पता में Sky Walker Village Chandora, Post Multai, Betul म.प्र. है. में, फर्म दोनों भागीदारों की आपसी सहमति से व बिना किसी वाद-विवाद के आज दिनांक 20 फरवरी, 2017 को भागीदारी व भागीदारी फर्म की समाप्ति अथवा विघटन किया जा रहा है.

वास्ते-**संजय गंगाधर राव दाणे,**
(भागीदार)
कमलाकर मासोदकर वल्द श्री नत्थू जी मासोदकर,
Sky Walker Village Chandora, Post Multai,
(753-बी.) Betul (M.P.).

विविध

न्यायालय रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अन्तर्गत]

आवेदक दिव्य साधना चैरिटेबल ट्रस्ट, पता-5 फ्लोअर, विद्याराज एनेक्स, बी-1, बसंत विहार, सत्य सांई स्कूल के पास, इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी/प्रबंधक श्री प्रवीण कक्कड़ पता-उदय कुंज, ए.बी. 310, स्कीम नं. 74 सी, विजय नगर, इन्दौर के द्वारा दिव्य साधना चैरिटेबल ट्रस्ट, कार्यालय पता-5, फ्लोअर, विद्याराज एनेक्स, बी-1, बसंत विहार, सत्य सांई स्कूल के पास, इन्दौर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	दिव्य साधना चैरिटेबल ट्रस्ट
पता	:	5, फ्लोअर, विद्याराज एनेक्स, बी-1, बसंत विहार, सत्य सांई स्कूल के पास, इन्दौर.
अचल संपत्ति	:	निरंक.
चल संपत्ति	:	10,000/- (अक्षरी रुपये दस हजार मात्र) है.

आज दिनांक 28 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1040)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अन्तर्गत]

आवेदक "THE RISING WORLD FOUNDATION" पता-10/1, साउथ तुकोगंज, ऐलुमिना टॉवर, इन्दौर (मध्यप्रदेश) तर्फे कार्यकारी न्यासी सुश्री मरीना शेख पिता श्री शाहिन शेख, पता-10/1, साउथ तुकोगंज, ऐलुमिना टॉवर, इन्दौर द्वारा "THE RISING WORLD FOUNDATION" जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात

(30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	"THE RISING WORLD FOUNDATION"
कार्यालय पता	:	10/1, साउथ तुकोगंज, ऐलुमिना टॉवर, इन्दौर (मध्यप्रदेश)
अचल संपत्ति	:	निरंक.
चल संपत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र) है.

आज दिनांक 17 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1041)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अन्तर्गत]

आवेदक "इशान फाऊण्डेशन" पता-2, वैभव अर्पाटमेंट, अमितेश नगर, इन्दौर (मध्यप्रदेश) तर्फे कार्यकारी न्यासी श्रीमती निकिता पति डॉ. अरविन्द रावल, पता-2, वैभव अर्पाटमेंट, अमितेश नगर, इन्दौर द्वारा "इशान फाऊण्डेशन" जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	"इशान फाऊण्डेशन"
कार्यालय पता	:	2, वैभव अर्पाटमेंट, अमितेश नगर, इन्दौर (मध्यप्रदेश)
अचल संपत्ति	:	निरंक.
चल संपत्ति	:	न्यास की चल संपत्ति 11,111/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह मात्र) है.

आज दिनांक 25 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

अजीत कुमार श्रीवास्तव,
पंजीयक.

(1042)

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, बुरहानपुर

प्र.क्र. 3/बी-113/2016-17.

प्रारूप-तृतीय

[नियम पाँच (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-04 के अंतर्गत]

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक बुरहानुपर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यहकि सचिव, प्रभाकर पिता रतिलाल जाधव, निवासी दत्त मन्दिर के पास, चिंचाला, लालबाग, बुरहानपुर ने "श्री भक्त सूरदास दत्त मन्दिर ट्रस्ट, दत्त मन्दिर, वार्ड क्र. 43, लालबाग, बुरहानपुर (मध्यप्रदेश)" को लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 28 फरवरी, 2017 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता, सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता	:	"श्री भक्त सूरदास दत्त मन्दिर ट्रस्ट, दत्त मंन्दिर, वार्ड क्र. 43, लालबाग, जिला बुरहानपुर (मध्यप्रदेश)"
चल सम्पत्ति	:	नगद 500/-
अचल सम्पत्ति	:	ग्राम चिंचाला तहसील व जिला बुरहानपुर में पुराना ख. नं. 168 नया ख. नं. 197/3 रकबा 0.39 एकड़ अर्थात 0.158 हैक्टर में से 75x70=5200 वर्गफीट सम्पत्ति स्थित है जो मौके पर मन्दिर व उसके खुले परिसर के रूप में बाऊण्ड्रीवॉल व तारफेंसिंग से घिरी हुई है.

श्यामेन्द्र जायसवाल,
(985) पंजीयक.

कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट, जिला-टीकमगढ़

टीकमगढ़, दिनांक 31 जनवरी, 2017

अधिसूचना

क्र.121/आरडीएस/2017.—मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2(क)-10/2015/वी-3/दो, दिनांक 23 नवम्बर, 2016 अनुसार थाना चन्देरा के ग्राम जेवर एवं थाना मोहनगढ़ के ग्राम बंधा में नवीन पुलिस चौकी की स्थापना की गई है. तद्नुसार थाना चन्देरा के एवं थाना मोहनगढ़ के अंतर्गत आने वाले निम्नांकित ग्राम पुलिस चौकी जेवर एवं बंधा में सम्मिलित रहेंगे:-

नवीन पुलिस चौकी ग्राम-जेवर थाना चन्देरा :- 1. ग्राम जेवर 2. ग्राम उपारा 3. ग्राम मर्दनपुरा 4. ग्राम वृषभानपुरा 5. ग्राम हरकनपुरा 6. ग्राम बिजरावन 7. ग्राम वनपुरा 8. ग्राम महेबाचक नं. 04.

नवीन पुलिस चौकी ग्राम-बंधा थाना मोहनगढ़ :- 1. ग्राम बंधा 2. ग्राम ढाना 3. ग्राम नंदनवारा 4. ग्राम नीमखेरा 5. ग्राम बहादुरपुर 6. ग्राम राजनगर 7. खरबम्हौरी 8. कुम्हैड़ी 9. खाकरौन 10. केशवगढ़ 11. सिद्धगनेश 12. हथेरी 13. ग्याजीतपुरा 14. ग्राम छेदी 15 ग्राम बरेठी 16. ग्राम जेरा.

उपर्युक्तानुसार पुलिस चौकी जेवर एवं बंधा में राजस्व ग्राम सम्मिलित रहेंगे तद्नुसार सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु अधिसूचना जारी की जाती है.

प्रियंका दास,
(986) जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन उपसचिव.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, विदिशा

विदिशा, दिनांक 02 फरवरी, 217

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./स्था. विधि/लेखा/497.—जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, विदिशा का पंजीयन क्र./व्हीडीएस/एच.ओ./68, दिनांक 09 जनवरी, 1962 को संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें भोपाल संभाग भोपाल का आदेश क्र./परि./2016/271, दिनांक 10 फरवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के प्रावधान के तहत जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, क्रमांक-57(सी/ग) के अंतर्गत जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, विदिशा के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते है, त्रुटि की दशा में लेनदार किसी भी लाभ के

बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(987)

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 31 जनवरी, 2017

क्र./परि./2017/196.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./1998/604, विदिशा, दिनांक 21 मई, 1998 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मुराहर, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./डी. आर./व्ही. डी. एस./414, 21 जनवरी, 1992 को परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल सक्सेना, उप-अंकेक्षक को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मुराहर, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया है.

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मुराहर, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./डी. आर./व्ही. डी. एस./414/21 जनवरी, 1992 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1031)

विदिशा, दिनांक 31 जनवरी, 2017

क्र./परि./2017/197.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2014/987, विदिशा, दिनांक 01 अगस्त, 1998 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खिरिया, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./डी. आर./व्ही. डी. एस./438, 21 मई, 1992 को परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल सक्सेना, उप-अंकेक्षक को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खिरिया, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया है.

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खिरिया, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./डी. आर./व्ही. डी. एस./438/21 मई, 1992 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1032)

विदिशा, दिनांक 31 जनवरी, 2017

क्र./परि./2017/198.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2001/1881, विदिशा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चितौरिया, तहसील व जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./432, 29 अप्रैल, 1992 को परिसमापन में लाया जाकर श्री के. एम. अग्रवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चितौरिया, तहसील व जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया है.

मैं समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चितौरिया, तहसील व जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./432/29 अप्रैल, 1992 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1033)

विदिशा, दिनांक 31 जनवरी, 2017

क्र./परि./2017/199.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2006/300, विदिशा, दिनांक 06 मार्च, 2006 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, देवखजूरी, तहसील व जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./313,19 अक्टूबर,1987 को परिसमापन में लाया जाकर श्री के. एम. अग्रवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, देवखजूरी, तहसील व जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया है.

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, देवखजूरी तहसील व जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./313,19 अक्टूबर,1987 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1034)

विदिशा, दिनांक 31 जनवरी, 2017

क्र./परि./2017/200.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2006/302, विदिशा, दिनांक 06 मार्च, 2006 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मसूदपुर, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र. ए. आर./व्ही. डी. एस./368, 16 अप्रैल, 1991 को परिसमापन में लाया जाकर श्री के. एम. अग्रवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मसूदपुर, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया है.

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मसूदपुर, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./368, 16 अप्रैल, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

ए. के. सिंह,
उप-पंजीयक.

(1035)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल

बैतूल, दिनांक 02 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2017/01.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2016/616, दिनांक 21 जून, 2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देडपानी, जिला बैतूल, पंजीयन क्रमांक 1667, दिनांक 20 दिसम्बर, 2012 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के परिसमापक श्री सी. एल. डोंगरे, स. नि. द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के लेनदारी-देनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, अशोक कुमार शुक्ला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देडपानी, जिला बैतूल, पंजीयन क्रमांक 1667, दिनांक 20 दिसम्बर, 2012 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित-निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक .....2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अशोक कुमार शुक्ला,
उप-पंजीयक.

(1036)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर

नरसिंहपुर, दिनांक 04 जनवरी, 2017

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2013-14/285, दिनांक 26 फरवरी, 2014 नरसिंहपुर द्वारा ग्रामपंचायत स्तरीय महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रम्पुरा प. क्र. 591, दिनांक 16 मार्च, 2005 तहसील करेली को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के तहत् श्री डी. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत करेली, जिला नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही निम्नानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्स शीट में देनदारी/लेनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी एवं देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, शकुन्तला ठाकुर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ5-2-10-15-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के तहत ग्रामपंचायत स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, रम्पुरा, प. क्र. 591, दिनांक 16 मार्च, 2005 जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित-निकाय बॉडी-कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को कार्यालयीन पदमुद्रा मेरे हस्ताक्षर एवं से जारी किया गया.

शकुन्तला ठाकुर,
उप-रजिस्ट्रार.

(1037)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 28 जनवरी, 2017

क्र./परि./2016/97.-मुर्गीपालन सहकारी संस्था मर्यादित, टाण्डागोती तहसील थांदला, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक/967-8, दिनांक 09 अक्टूबर, 2001 को कार्यालयीन आदेश क्र./परि./451-8, दिनांक 25 अगस्त, 2014 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, जी. एल. बडोलें, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 28 जनवरी, 2017 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जी. एल. बडोलें,
उप-पंजीयक

(1038)

झाबुआ, दिनांक 28 जनवरी, 2017

क्र./परि./2014/98.—अन्नपूर्णा बीज उत्पादक मर्यादित, नल्दी छोटी, तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक/1063, दिनांक 30 सितम्बर, 2010 को कार्यालयीन आदेश क्र./परि./213-13, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 28 जनवरी, 2017 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बबलू सातनकर,
उप-पंजीयक

(1039)

कार्यालय परिसमापक, आर्थिक साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं नियम, 1962 के नियम, 57(ग) के अन्तर्गत]

आर्थिक साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./जी. डब्ल्यू. आर./171, दिनांक 11 अप्रैल, 1969 है, को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/3030, ग्वालियर, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझ मुकेश सिंघल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 03 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(988)

कार्यालय परिसमापक, कविता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57(ग) के अन्तर्गत]

कविता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./386, दिनांक 29 सितम्बर, 2004 है, को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1118, ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझ मुकेश सिंघल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हों तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 03 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(989)

कार्यालय परिसमापक, अविज्ञप्ति शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57(ग) के अन्तर्गत]

अविज्ञप्ति शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./107, दिनांक 02 अप्रैल, 1954 है, को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/1994, ग्वालियर दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझ मुकेश सिंघल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 03 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(990)

कार्यालय परिसमापक, जय माता दी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57(ग) के अन्तर्गत]

जय माता दी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./302, दिनांक 21 दिसम्बर, 2001 है, को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1119, ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझ मुकेश सिंघल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 03 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एम. के. सिंघल,
परिसमापक.

(991)

कार्यालय परिसमापक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, सीहोर

सीहोर, दिनांक 07 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./स्था./2016-17/557.—जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., सीहोर जिसका पंजीयन क्र./एस. एच. आर./एच. ओ./142, दिनांक 27 दिसम्बर, 1974 है, को संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, भोपाल संभाग भोपाल के आदेश क्र./परि./2016/273, दिनांक 10 फरवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में लेनदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 07 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
परिसमापक.

(992)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 04 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) अन्तर्गत]

उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न सहकारी संस्था जिसका पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखा है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71(1) के तहत् मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, नलखेडा	569/07-01-1991	179/22-09-2015

अतः मैं, के. के. कॉगले, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से 02 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि पश्चात् दावे/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

के. के. कॉगले,
परिसमपक एवं सहकारी निरीक्षक.

(993)

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारिता, जिला शिवपुरी

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	राज्य कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी	143/07-07-1983	510/08-03-2016

अतः उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 08 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(994)

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत)

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	मण्डल शासकीय कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., शिवपुरी.	182/25-06-1966	509/08-03-2016

अत: उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 08 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(995)

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 सी के अन्तर्गत)

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., करई	508/02-12-2004	1002/16-05-2016

अत: उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 08 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(996)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 सी के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., लुकवासा	415/18-03-1998	508/08-03-2016

अत: उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनापंक 08 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(997)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 सी के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	पत्रकार गृह निर्माण सहकारी भंडार मर्या., शिवपुरी	274/23-11-1991	511/08-03-2016

अत: उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 08 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

राकेश सिंह चौहान,

(998) परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारिता, जिला शिवपुरी

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 सी के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सेवढ़ा	652/01-12-2015	1009/16-05-2016
2.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अमोलपठा	653/01-12-2015	1007/16-05-2016

अत: उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 01 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

विनीता सक्सेना,

(999) परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-72(2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1503, दिनांक 05 अक्टूबर, 2016 के द्वारा माँ भवानी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नराना, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1542, दिनांक 29 जनवरी, 2015 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री बी. एल. गोठवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था को संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, बी. एस. कोठारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72(2) के अंतर्गत माँ भवानी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नराना का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1000)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,
वैष्णवी फल, साग-सब्जी बीज उत्पादक,
सहकारी संस्था मर्या., टोंकखुर्द.
(द्वारा- संस्था की प्रभारी अधिकारी)

संस्था की प्रभारी अधिकारी द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 को अवगत कराया गया है कि वैष्णवी फल, साग-सब्जी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कांटाफोड, पंजीयन क्रमांक 1214, दिनांक 10 अगस्त, 2009 के बहिर्गामी अध्यक्ष से संपर्क किया गया. उनके द्वारा जानकारी दी गयी कि संस्था की आर्थिक स्थिति ठीक न होने से संस्था चलाने में असमर्थ हैं एवं संस्था को बंद करने का निवेदन किया गया है कार्यालयीन रिकार्ड अनुसार संस्था का विगत कई वर्षों से अंकेषण नहीं हुआ है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था, उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

अतः मैं, बी. एस. कोठारी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाने से पूर्व इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर मुझे या कार्यालय में कार्यालयीन समय में लिखित एवं मौखिक रूप से प्रस्तुत करें. साथ ही उपरोक्त कारणों के रहते हुए क्यों न अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1001)

देवास, दिनांक 28 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/146.—पित्तेश्वर फल, साग-सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवास, पंजीयन क्रमांक 39, दिनांक 04 फरवरी, 2014 को संस्था अध्यक्ष एवं संचालक मंडल द्वारा प्रेषित पत्र अनुसार जिस उद्देश्य के लिए संस्था का पंजीयन किया गया था उसकी पूर्ति संचालकगण एवं सदस्यों द्वारा नहीं की जा रही है तथा संचालक मंडल एवं सदस्य संस्था नहीं चलाना चाहते हैं एवं संस्था का एक वर्ष से अंकेक्षण भी नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में कार्यालय पत्र क्रमांक 1730, दिनांक 26 नवम्बर, 2016 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र दिया जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, बी. एस. कोठारी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पित्तेश्वर फल, साग-सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवास, पंजीयन क्रमांक 39, दिनांक 04 फरवरी, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में जाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री ए. के. जैन, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 28 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. कोठारी,
उप आयुक्त सहकारिता,

(1002)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 09 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/340.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./459, दिनांक 17 फरवरी, 2016 के द्वारा मध्यभारतीय साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1858 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक आशीष कुमार शुक्ला, स. नि. द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यभारतीय साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1858 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 08 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1003)

जबलपुर, दिनांक 09 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/341.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./457, दिनांक 17 फरवरी, 2016, द्वारा सियाराम बचत साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1862 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक आशीष कुमार शुक्ला, स. नि. द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला जबलपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये सियाराम बचत साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1862 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 08 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1004)

जबलपुर, दिनांक 09 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/342.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./470, दिनांक 17 फरवरी, 2016 के द्वारा लक्ष्मीनारायण साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 628 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक आशीष कुमार शुक्ला, स. नि. द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला जबलपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये लक्ष्मीनारायण साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 628 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 08 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1005)

जबलपुर, दिनांक 09 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/344.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./833, दिनांक 16 मार्च, 2016 के द्वारा भीम चर्मोद्योग सहकारी समिति मर्या. , रमपुरीकला, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1621 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्रीमती माया मालिनी एंथोनी, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला जबलपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुय भीम चर्मोद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला रमपुरीकला पंजीयन क्रमांक 1621 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 08 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1006)

जबलपुर, दिनांक 09 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपज/परि./2017/3443.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपज/परि./473, दिनांक 17 फरवरी, 2016 के द्वारा विकास बचत साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1859 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक आशीष कुमार शुक्ला, स. नि. द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला जबलपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये विकास बचत साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1859 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 08 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जी. पी. प्रजापति,

(1007) सहायक पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक एवं अंके अधिकारी, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि सयुक्त-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां

अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत् मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	मध्यप्रदेश विंध्य जैविक हर्बल खाद बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जबलपुर.	24	आदेश क्र./सपज/507/25-04-2016

अतः मैं, एस. सी. दहायत, अंके. अधिकारी एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूं कि उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे या स्वत्व के संबंध में प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु अभ्यावेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समिति के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

(1008)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समितियों जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत् मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	पलिका नगर निगम गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	172	18/04-01-2017
2.	ताम्रकार समाज गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	177	20/04-01-2017
3.	नवजागकरण गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	156	21/04-01-2017
4.	कार्तिक उराव गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	179	22/04-01-2017
5.	आनन्द गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	176	19/04-01-2017

अतः मैं, एस. सी. दहायत, अंके. अधिकारी एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57सी के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता/करती हूं कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे या स्वत्व के संबंध में प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु अभ्यावेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

एस. सी. दहायत,
अंके. अधिकारी एवं परिसमापक.

(1017)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 04 फरवरी, 2017

संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/206.-यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत पूर्व में समय-समय पर प्रसारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये, मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा जो मुझे प्रदत्त हैं, पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री बी. एस. सोलंकी, व.स.नि. के स्थान पर श्री दिनेश भालेकर, उप-अंकेक्षक को अधोलिखित परिसमापित सहकारी संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	सामूहिक कृषि स. स. मर्या., पांडूखेडी	1619/18-06-1958	1635/01-11-2003
2.	कृषि कर्म. उप. भंडार, पवारखेडा	1326/24-12-1951	1635/01-11-2003
3.	स्प्रींकलर प्राथ. स. स., गुरमखेडी	2250/11-12-1986	1037/12-07-2001
4.	तिलहन उत्पा. स. स., नसीराबाद	2252/10-12-1986	1024/11-07-2001
5.	नर्मदा यातायात स. स., शिवपुर	2427/23-11-1998	736/29-03-2014
6.	औद्योगिक स. स. मर्या., रीछी	2910/26-02-2007	737/29-03-2014
7.	गुरुकृपा ईंट-भट्टा स. स., शिवपुर	2907/21-02-2007	738/29-03-2014
8.	सतपुडा औद्योगिक हस्तशिल्प स. स., शोभापुर	2990/05-08-2008	739/29-03-2014
9.	तिलहन उत्पा. स. स., मांगरोल	2279/14-10-1987	1025/11-07-2001
10.	माँ नर्मदा प्राथ. उप. भंडार, होशंगाबाद	2658/30-05-1997	177/30-01-2015
11.	बालाजी प्राथ. उप. भंडार, बावई	2864/27-07-2005	177/30-01-2015
12.	नर्मदा गृह निर्माण स. स., पिपरिया	2174/17-05-1985	177/30-01-2015
13.	क्रय-विक्रय स. स., बघवाडा	2886/26-04-2006	177/30-01-2015
14.	नर्मदा साख स. स., सिवनी	2903/12-12-2006	177/30-01-2015
15.	दी किसान पौध, बीज स. स., इकलानी	2946/26-09-2007	177/30-01-2015
16.	राज गृह निर्माण स. स., होशंगाबाद	2612/13-05-1996	337/07-03-2015
17.	जिला लिपिक वर्गीय कर्म. साख स. स., होशंगाबाद	592/28-08-1956	337/07-03-2015
18.	सांवरिया गृह निर्माण स. सा., होशंगाबाद	2541/31-01-1996	337/07-03-2015
19.	प्राथमिक महिला साख स., होशंगाबाद	2733/15-10-2014	337/07-03-2015
20.	भाग्यश्री साख स. स., होशंगाबाद	2912/28-02-2007	337/07-03-2015
21.	बालाजी साख स. स., होशंगाबाद	2918/01-03-2007	337/07-03-2015
22.	श्री कृष्ण टेलरिंग स. स., शिवपुर	2732/27-02-2001	337/07-03-2015

यह आदेश आज दिनांक 04 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

घनश्याम डेहरिया,
उप-पंजीयक.

(1009)

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन

खरगोन, दिनांक 30 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.2016/980.-आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्र. 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाऐं जिनके पंजीयन क्र. कॉलम 04 में दर्शित

है एवं कालम क्रं. 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्रं. 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का उप-पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाऐं, द्वारा नियुक्त अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियां एवं लेनदारियां का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगोन म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जुलाई, 2016 से निर्गमित निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा.

प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्र.	परिसमापन आदेश क्र.	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मन्दोरी.	महेश्वर	1490/28-07-2006	1318/07-10-2013	श्री सोहन सिंह चौहान, स.नि.
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मर्दाना.	बड़वाह	1416/12-04-2005	66/12-01-2016	श्री मनोहर वास्कले, स.नि.

यह आदेश आज दिनांक 30 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1010)

खरगौन, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.2016/1532.-आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्र. 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाऐं जिनके पंजीयन क्र. कॉलम 04 में दर्शित है एवं कालम क्रं. 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्रं. 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का उप-पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाऐं, द्वारा नियुक्त अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियां एवं लेनदारियां का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जुलाई, 2016 से निर्गमित निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा.

प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्र.	परिसमापन आदेश क्र.	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रूपला.	बड़वाह	691/22-12-1986	245/01-12-2014	श्री मनोहर वास्कले, स.नि.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1011)

खरगौन, दिनांक 31 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.2017/59.-आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्र. 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाऐं जिनके पंजीयन क्र. कॉलम 04 में दर्शित है एवं कालम क्रं. 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्रं. 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का उप-पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाऐं, द्वारा नियुक्त अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियां एवं लेनदारियां का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगोन म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जुलाई, 2016 से निर्गमित निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा.

प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्र.	परिसमापन आदेश क्र.	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मलगांव.	बड़वाह	1325/23-08-2003	777/03-07-2015	श्री के. के. वास्केल, व.स.नि.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

(1012)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, जिला सागर

सागर, दिनांक 24 जनवरी, 2017, 31 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/144.—इंदिरा कुक्कुट सहकारी समिति मर्या., राहतगढ विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 406, दिनांक 18 मार्च, 1985 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/1324, दिनांक 30 सितम्बर, 2008 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री बसंत रोहित, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी राहतगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इंदिरा कुक्कुट सहकारी समिति मर्या., राहतगढ़, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 406, दिनांक 18 मार्च, 1985 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1013)

सागर, दिनांक 24 जनवरी, 2017, 31 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/145.—आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., बीलाग्राम, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) जिसका

पंजीयन क्रमांक 431, दिनांक 10 मार्च, 1987 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/772, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. जे. खरे, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी शाहगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., बीलाग्राम, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 431, दिनांक 10 मार्च, 1987 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1014)

सागर, दिनांक 24 जनवरी, 2017, 31 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/146.—गैर कृषि साख सहकारी समिति मर्या., दलपतरपुर, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 909, दिनांक 06 मार्च, 1956 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/280, दिनांक 19 जनवरी, 2009 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. जे. खरे, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी शाहगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये गैर कृषि साख सहकारी समिति मर्या., दलपतरपुर, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 909, दिनांक 06 मार्च, 1956 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1015)

सागर, दिनांक 24 जनवरी, 2017, 31 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/147.—आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जैसीनगर, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1017, दिनांक 21 जनवरी, 2003 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/705, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री बसंत रोहित, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी जैसीनगर, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जैसीनगर, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1017, दिनांक 21 जनवरी, 2003 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

पी. आर. कावड़कर,
उप-रजिस्ट्रार.

(1016)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं नियम, 1962 की धारा-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की

धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा 70(1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक दिनांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्र. व दिनांक
1	2	3	4
1.	दि सिद्धार्थ गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	45	23/04-01-2017

अत: मैं, व्ही. के. तिवारी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57(सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूं कि उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समिति के सदस्य या भूवपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें रिकार्ड रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समिति की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

व्ही. के. तिवारी,

(1018) वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, जिला होशंगाबाद

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम-57(1) सी/ग के अंतर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4 5
1.	सामूहिक कृषि स. स. मर्या., पांडूखेडी	1619/18-06-1958	1635/01-11-2003/206/04-02-2017
2.	कृषि कर्म उप. भंडार पवारखेडा	1326/24-12-1951	1635/01-11-2003/206/04-02-2017
3.	स्प्रींकलर प्राथ स. स. गुरमखेडी	2250/11-12-1986	1037/12-07-2001/206/04-02-2017
4.	तिलहन उत्पादक सह. समिति मर्या., नसीराबाद	2252/10-12-1986	1024/11-07-2001/206/04-02-2017
5.	नर्मदा यातायात सह. स. शिवुपुर	2427/23-11-1998	736/29-03-2014/206/04-02-2017
6.	औद्योगक सह. समिति मर्या, रीछी	2910/26-02-2007	737/29-03-2014/206/04-02-2017
7.	गुरुकृपा ईट-भट्टा सह. समिति मर्या., शिवपुर	2907/21-02-2007	738/29-03-2014/206/04-02-2017
8.	सतपुडा आद्योगित हस्तशिल्प सह. स. शोभापुर	2990/05-08-2008	739/29-03-2014/206/04-02-2017
9.	तिलहन उत्पादक सह. स., मांगरोल	2279/14-10-1987	1025/11-07-2001/206/04-02-2017
10.	मां नर्मदा प्राथ. उप. भंडार, होशंगाबाद	2658/30-05-1997	177/30-01-2015/206/04-02-2017
11.	बालाजी प्राथ. उप. भंडार, बावई	2864/27-07-2005	177/30-01-2015/206/04-02-2017
12.	नर्मदा गृह निर्माण स. स., पिपरिया	2174/17-05-1985	177/30-01-2015/206/04-02-2017
13.	क्रय-विक्रय सहकारी स., वघवाडा	2886/26-04-2006	177/30-01-2015/206/04-02-2017

1	2	3	4	5
14.	नर्मदा साख सहकारी स., सिवनी	2903/12-12-2006	177/30-01-2015/206/04-02-2017	
15.	दी किसान पौध बीज स. स., इकलानी	2946/26-09-2007	177/30-01-2015/206/04-02-2017	
16.	राज गृह निर्माण स. स., होशंगाबाद	2912/13-05-1996	337/07-03-2015/206/04-02-2017	
17.	जिला लिपिक वर्गीय कर्म. साख. स. स., होशंगाबाद	592/28-08-1956	337/07-03-2015/206/04-02-2017	
18.	सांवरिया गृह निर्माण स. स., होशंगाबाद	2541/31-01-1996	337/07-03-2015/206/04-02-2017	
19.	प्राथमिक महिला साख स., होशंगाबाद	2733/15-10-2014	337/07-03-2015/206/04-02-2017	
20.	भाग्यश्री साख स. स., होशंगाबाद	2912/28-02-2007	337/07-03-2015/206/04-02-2017	
21.	बालाजी साख स. स., होशंगाबाद	2918/01-03-2007	337/07-03-2015/206/04-02-2017	
22.	श्री कृष्ण टेलरिंग स. स., शिवपुर	2732/27-02-2001	337/07-03-2015/206/04-02-2017	

उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का रिकार्ड या दस्तावेज तथा डेड स्टाक आदि प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1960 की धारा-70 (1) का उपयोग में लाते हुए मैं, एस. के. गुप्ता, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम 57-(1)सी/ग के अंतर्गत यह सूचित करता हूं कि यदि उक्त संस्थाओं के दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारियां हो या दावे प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना जारी होने के 2 माह के अंदर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, निर्धारित अवधि के बाद दावों (क्लेमों) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा जिसके लिए संबंधित दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा, संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास हो, तो यह 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा ऐसा व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा.

दिनेश भालेकर,
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

(1019)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना

पन्ना, दिनांक 09 फरवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

संचालक मंडल,
छत्रसाल ऑफसेट सहकारी मुद्रणालय मर्यादित, पवई.

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रबंधक,
छत्रसाल ऑफसेट सहकारी मुद्रणालय मर्यादित, पवई.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था का परिसमापन करने बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र.

संदर्भ :- सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना का पत्र क्रमांक/सपंप./अंकेक्षण/2016/04, दिनांक 08 फरवरी, 2017.

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें पन्ना से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आप सभी को सूचित किया जाता है कि छत्रसाल ऑफसेट सहकारी मुद्रणालय पवई, पंजीयन क्रमांक 696, दिनांक 29 अप्रैल, 2008 निम्नलिखित कारणों से मध्य प्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत् परिसमापन में लाये जाने के योग्य हो गयी है:-

1. सोसायटी अपने पंजीकृत पते में स्थित नहीं है.
2. सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण दिनांक के उपरान्त युक्तियुक्त समयावधि में कार्ययोजना अनुरूप कार्य प्रारंभ नहीं किया है.
3. सोसायटी द्वारा संचालक मंडल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
4. सोसायटी द्वारा नियमानुसार संचालक मंडल एवं आमसभा की बैठकों का आयोजन नहीं किया गया है.

5. सोसायटी द्वारा अपने सदस्यों के हितों के संवर्धन के लिये कोई रुचि नहीं ली जा रही है.

6. सोसायटी के सदस्यों को सोसायटी के कार्यों में कोई रुचि नहीं है.

7. सोसायटी विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो गयी है.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है. उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्यरत नहीं है. अतः संस्था एक नियमित निकाय (कारपोरेट बॉडी) के रूप में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69(1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे.

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा सूचना-पत्र प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यतः विशेष आमसभा में विचारोपरांत प्रस्तुत किया जावे, यदि अध्यक्ष/प्रबंधक, संचालक मंडल के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 20 मार्च, 2017 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं.

यहाँ विशेषतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था का परिसमापन प्रकरण होने के कारण उपरोक्त समयावधि में संचालक मंडल के सदस्य तथा संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक आमसभा के सदस्यों के विचारार्थ विशेष साधारण सभा बुलाकर इस कारण बताओ सूचना-पत्र को उनके संज्ञान में लाया जावे उनके समक्ष विचारोपरांत प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जावे.

उपरोक्त समयावधि व निश्चित दिनांक 20 मार्च, 2017 को सदस्यों के निर्णय अनुरूप इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि समस्त संस्था सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं. उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत संस्था को परिसमापित किया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1021)

पन्ना, दिनांक 09 फरवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

संचालक मंडल,
ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, रहुनिया.

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रबंधक,
ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, रहुनिया.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था का परिसमापन करने बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र.

संदर्भ :- सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना का पत्र क्रमांक/सपं.प./अंकेक्षण/2016/04, दिनांक 08 फरवरी, 2017.

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें पन्ना से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आप सभी को सूचित किया जाता है कि ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, रहुनिया, पंजीयन क्रमांक 416, दिनांक 02 अगस्त, 2002 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत् परिसमापन में लाये जाने के योग्य हो गयी है:-

1. सोसायटी अपने पंजीकृत पते में स्थित नहीं है.

2. सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण दिनांक के उपरान्त युक्तियुक्त समयावधि में कार्ययोजना अनुरूप कार्य प्रारंभ नहीं किया है.

3. सोसायटी द्वारा संचालक मंडल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.

4. सोसायटी द्वारा नियमानुसार संचालक मंडल एवं आमसभा की बैठकों का आयोजन नहीं किया गया है.

5. सोसायटी द्वारा अपने सदस्यों के हितों के संवर्धन के लिये कोई रुचि नहीं ली जा रही है.

6. सोसायटी के सदस्यों को सोसायटी के कार्यों में कोई रुचि नहीं है.

7. सोसायटी विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो गयी है.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है. उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्यरत नहीं है. अतः संस्था एक नियमित निकाय (कारपोरेट बॉडी) के रूप में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69(1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे.

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा सूचना-पत्र प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यतः विशेष आमसभा में विचारोपरांत प्रस्तुत किया जावें, यदि अध्यक्ष/प्रबंधक, संचालक मंडल के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 20 मार्च, 2017 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं.

यहाँ विशेषतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था का परिसमापन प्रकरण होने के कारण उपरोक्त समयावधि में संचालक मंडल के सदस्य तथा संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक आमसभा के सदस्यों के विचारार्थ विशेष साधारण सभा बुलाकर इस कारण बताओ सूचना-पत्र को उनके संज्ञान में लाया जावे उनके समक्ष विचारोपरांत प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जावे.

उपरोक्त समयावधि व निश्चित दिनांक 20 मार्च, 2017 को सदस्यों के निर्णय अनुरूप इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि समस्त संस्था सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं. उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत संस्था को परिसमापित किया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1022)

पन्ना, दिनांक 09 फरवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

संचालक मंडल,
प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, देनेन्द्रनगर.

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रबंधक,
प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, देनेन्द्रनगर.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था का परिसमापन करने बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र.

संदर्भ :- सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना का पत्र क्रमांक/सपंप./अंकेक्षण/2016/04, दिनांक 08 फरवरी, 2017.

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें पन्ना से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आप सभी को सूचित किया जाता है कि प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, देनेन्द्रनगर, पंजीयन क्रमांक 338, दिनांक 29 दिसम्बर, 1990 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत् परिसमापन में लाये जाने के योग्य हो गयी है:-

1. सोसायटी अपने पंजीकृत पते में स्थित नहीं है.

2. सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण दिनांक के उपरान्त युक्तियुक्त समयावधि में कार्ययोजना अनुरूप कार्य प्रारंभ नहीं किया है.

3. सोसायटी द्वारा संचालक मंडल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.

4. सोसायटी द्वारा नियमानुसार संचालक मंडल एवं आमसभा की बैठकों का आयोजन नहीं किया गया है.

5. सोसायटी द्वारा अपने सदस्यों के हितों के संवर्धन के लिये कोई रुचि नहीं ली जा रही है.

6. सोसायटी के सदस्यों को सोसायटी के कार्यों में कोई रुचि नहीं है.

7. सोसायटी विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो गयी है.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है. उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्यरत नहीं है. अतः संस्था एक नियमित निकाय (कारपोरेट बॉडी) के रूप में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69(1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे.

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा सूचना-पत्र प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यतः विशेष आमसभा में विचारोपरांत प्रस्तुत किया जावें, यदि अध्यक्ष/प्रबंधक, संचालक मंडल के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 20 मार्च, 2017 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं.

यहाँ विशेषतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था का परिसमापन प्रकरण होने के कारण उपरोक्त समयावधि में संचालक मंडल के सदस्य तथा संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक आमसभा के सदस्यों के विचारार्थ विशेष साधारण सभा बुलाकर इस कारण बताओ सूचना-पत्र को उनके संज्ञान में लाया जावे उनके समक्ष विचारोपरांत प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जावे.

उपरोक्त समयावधि व निश्चित दिनांक 20 मार्च, 2017 को सदस्यों के निर्णय अनुरूप इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि समस्त संस्था सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं. उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत संस्था को परिसमापित किया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1023)

पन्ना, दिनांक 09 फरवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

संचालक मंडल,
आरक्षी उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, पन्ना.

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रबंधक,
आरक्षी उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, पन्ना.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था का परिसमापन करने बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र.

संदर्भ :- सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना का पत्र क्रमांक/सपंप./अंकेक्षण/2016/04, दिनांक 08 फरवरी, 2017.

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें पन्ना से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आप सभी को सूचित किया जाता है कि आरक्षी उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, पन्ना, पंजीयन क्रमांक 656, दिनांक 05 फरवरी, 2011 निम्नलिखित कारणों से मध्य प्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत् परिसमापन में लाये जाने के योग्य हो गयी है:-

1. सोसायटी अपने पंजीकृत पते में स्थित नहीं है.

2. सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण दिनांक के उपरान्त युक्तियुक्त समयावधि में कार्ययोजना अनुरूप कार्य प्रारंभ नहीं किया है.

3. सोसायटी द्वारा संचालक मंडल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.
4. सोसायटी द्वारा नियमानुसार संचालक मंडल एवं आमसभा की बैठकों का आयोजन नहीं किया गया है.
5. सोसायटी द्वारा अपने सदस्यों के हितों के संवर्धन के लिये कोई रुचि नहीं ली जा रही है.
6. सोसायटी के सदस्यों को सोसायटी के कार्यों में कोई रूचि नहीं है.
7. सोसायटी विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो गयी है.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है. उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्यरत नहीं है. अतः संस्था एक नियमित निकाय (कारपोरेट बॉडी) के रूप में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69(1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे.

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा सूचना-पत्र प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यतः विशेष आमसभा में विचारोपरांत प्रस्तुत किये जावें, यदि अध्यक्ष/प्रबंधक, संचालक मंडल के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 20 मार्च, 2017 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं.

यहाँ विशेषतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था का परिसमापन प्रकरण होने के कारण उपरोक्त समयावधि में संचालक मंडल के सदस्य तथा संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक आमसभा के सदस्यों के विचारार्थ विशेष साधारण सभा बुलाकर इस कारण बताओ सूचना-पत्र को उनके संज्ञान में लाया जावे उनके समक्ष विचारोपरांत प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जावे.

उपरोक्त समयावधि व निश्चित दिनांक 20 मार्च, 2017 को सदस्यों के निर्णय अनुरूप इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि समस्त संस्था सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं. उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत संस्था को परिसमापित किया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1024)

पन्ना, दिनांक 09 फरवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

संचालक मंडल,
विश्वकर्मा काष्ठकला श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, पन्ना.

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रबंधक,
विश्वकर्मा काष्ठकला श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, पन्ना.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था का परिसमापन करने बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र.

संदर्भ :- सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना का पत्र क्रमांक/सपं.प./अंकेक्षण/2016/04, दिनांक 08 फरवरी, 2017.

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें पन्ना से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आप सभी को सूचित किया जाता है कि विश्वकर्मा काष्ठकला श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, पन्ना, पंजीयन क्रमांक 660, दिनांक 30 मार्च, 2011 निम्नलिखित कारणों से मध्य प्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत् परिसमापन में लाये जानके के योग्य हो गयी है:-

1. सोसायटी अपने पंजीकृत पते में स्थित नहीं है.
2. सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण दिनांक के उपरान्त युक्तियुक्त समयावधि में कार्ययोजना अनुरूप कार्य प्रारंभ नहीं किया है.
3. सोसायटी द्वारा संचालक मंडल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.

4. सोसायटी द्वारा नियमानुसार संचालक मंडल एवं आमसभा की बैठकों का आयोजन नहीं किया गया है.

5. सोसायटी द्वारा अपने सदस्यों के हितों के संवर्धन के लिये कोई रुचि नहीं ली जा रही है.

6. सोसायटी के सदस्यों को सोसायटी के कार्यों में कोई रूचि नहीं है.

7. सोसायटी विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो गयी है.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है. उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्यरत नहीं है. अतः संस्था एक नियमित निकाय (कारपोरेट बॉडी) के रूप में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69(1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे.

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा सूचना-पत्र प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यतः विशेष आमसभा में विचारोपरांत प्रस्तुत किये जावें, यदि अध्यक्ष/प्रबंधक, संचालक मंडल के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 20 मार्च, 2017 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं.

यहाँ विशेषतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था का परिसमापन प्रकरण होने के कारण उपरोक्त समयावधि में संचालक मंडल के सदस्य तथा संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक आमसभा के सदस्यों के विचारार्थ विशेष साधारण सभा बुलाकर इस कारण बताओ सूचना-पत्र को उनके संज्ञान में लाया जावे उनके समक्ष विचारोपरांत प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जावे.

उपरोक्त समयावधि व निश्चित दिनांक 20 मार्च, 2017 को सदस्यों के निर्णय अनुरूप इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि समस्त संस्था सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं. उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत संस्था को परिसमापित किया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1025)

पन्ना, दिनांक 09 फरवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

संचालक मंडल,
नानाजी देशमुख प्राथमिक विपणन सहकारी समिति मर्यादित, पवई.

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रबंधक,
नानाजी देशमुख प्राथमिक विपणन सहकारी समिति मर्यादित, पवई.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था का परिसमापन करने बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र.

संदर्भ :- सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना का पत्र क्रमांक/सपं.प./अंकेक्षण/2016/04, दिनांक 08 फरवरी, 2017.

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें पन्ना से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आप सभी को सूचित किया जाता है कि नानाजी देशमुख प्राथमिक विपणन सहकारी समिति मर्यादित, पवई, पंजीयन क्रमांक 735, दिनांक 09 नवम्बर, 2012 निम्नलिखित कारणों से मध्य प्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत् परिसमापन में लाये जानके के योग्य हो गयी है:-

1. सोसायटी अपने पंजीकृत पते में स्थित नहीं है.

2. सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण दिनांक के उपरान्त युक्तियुक्त समयावधि में कार्ययोजना अनुरूप कार्य प्रारंभ नहीं किया है.

3. सोसायटी द्वारा संचालक मंडल का निर्वाचन नहीं कराया गया है.

4. सोसायटी द्वारा नियमानुसार संचालक मंडल एवं आमसभा की बैठकों का आयोजन नहीं किया गया है.

5. सोसायटी द्वारा अपने सदस्यों के हितों के संवर्धन के लिये कोई रुचि नहीं ली जा रही है.

6. सोसायटी के सदस्यों को सोसायटी के कार्यों में कोई रूचि नहीं है.

7. सोसायटी विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो गयी है.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है. उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्यरत नहीं है. अतः संस्था एक नियमित निकाय (कारपोरेट बॉडी) के रूप में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69(1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे.

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा सूचना-पत्र प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यतः विशेष आमसभा में विचारोपरांत प्रस्तुत किये जावें, यदि अध्यक्ष/प्रबंधक, संचालक मंडल के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 20 मार्च, 2017 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं.

यहाँ विशेषतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था का परिसमापन प्रकरण होने के कारण उपरोक्त समयावधि में संचालक मंडल के सदस्य तथा संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक आमसभा के सदस्यों के विचारार्थ विशेष साधारण सभा बुलाकर इस कारण बताओ सूचना-पत्र को उनके संज्ञान में लाया जावे उनके समक्ष विचारोपरांत प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जावे.

उपरोक्त समयावधि व निश्चित दिनांक 20 मार्च, 2017 को सदस्यों के निर्णय अनुरूप इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि समस्त संस्था सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं. उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत संस्था को परिसमापित किया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

दीप्ति बनवासी,
सहायक पंजीयक.

(1026)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर मालवा, दिनांक 25 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/143.—सरदार वल्लभ भाई पटेल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ठिकरिया, तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 14, दिनांक 05 नवम्बर, 2014 को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर मालवा के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1152, दिनांक 11 जुलाई, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं है.

अतः मैं, श्वेता रावत, प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये सरदार वल्लभ भाई पटेल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ठिकरिया, तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा का पंजीयन निरस्त करती हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक .....जनवरी, 2017 से नियमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1027)

आगर मालवा, दिनांक 25 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/144.—महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोंदलमउ, तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 33, दिनांक 19 नवम्बर, 2015 को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर मालवा के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1153, दिनांक 11 जुलाई, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं है.

अतः मैं, श्वेता रावत, प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोंदलमउ, तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा का पंजीयन निरस्त करती हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 25 जनवरी, 2017 से नियमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1028)

आगर मालवा, दिनांक 25 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/145.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिजनाखेडी, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 580, दिनांक 27 जुलाई, 1991 को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर मालवा के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/185, दिनांक 22 नवम्बर, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं है.

अतः मैं, श्वेता रावत, प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिजनाखेडी, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा का पंजीयन निरस्त करती हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 25 जनवरी, 2017 से नियमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 25 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1029)

आगर मालवा, दिनांक 30 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1265, दिनांक 21 जुलाई, 2016 के द्वारा दुग्ध उतपादक सहकारी संस्था मर्या., कानड, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 178, दिनांक 20 सितम्बर, 1980) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार उक्त संस्था परिसमापन के उपरांत भी नियमित दुग्ध संकलन का कार्य कर रही है. संस्था सदस्यों की बैठक दिनांक 25 दिसम्बर, 2016 में संस्था को अधिनियम अनुसार संचालित करने का निर्णय पारित किया जाकर संस्था के नवीन निर्वाचन कराने हेतु संकल्प पारित किया गया है. प्रभारी प्रबंधक दुग्ध शीत केन्द्र एवं मार्ग पर्यवेक्षक दुग्ध संघ द्वारा संस्था के क्रियाशील होने के कारण संस्था को पुर्नजीवित किये जाने हेतु पत्र लिखा गया है. परिसमापक द्वारा भी अपने प्रतिवेदन में संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गयी है.

अतः संस्था सदस्यों द्वारा पारित निर्णय दुग्ध शीत केन्द्र आगर मालवा मार्ग पर्यवेक्षक दुग्ध शीत केन्द्र एवं परिसमापक के प्रतिवेदन के आधार पर मैं श्वेता रावत, प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी सस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कानड, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 178, दिनांक 20 सितम्बर, 1980) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त करते हुये पुनर्जीवित करती हूँ तथा संस्था के नवीन निर्वाचन होने तक श्री योगेश शर्मा, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का प्रशासक नियुक्त करती हूँ. प्रशासक पन्द्रह दिवस में संस्था का नवीन निर्वाचन हेतु प्रस्ताव तैयार कर कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

श्वेता रावत,

(1030) प्र. उप-पंजीयक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च, 2017-फाल्गुन 26, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

निरंक

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017